रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 285] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 15, 1975/आश्विन 23, 1897
No. 285] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 1975/ASVINA 23, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October 1975

G.S.R. 521(E).—The following draft of the Motor Vehicles (National Permits) Rules, 1975, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (15) of section 63 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), is hereby published, as required by sub-section (1) of section 133 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft rules, before the expiry of the said period, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) These rules may be called the Motor Vehicles (National Permits) Rules, 1975.

(2) They shall extend to the whole of India.

(3) They shall come into force on-

2. **Definitions**.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939).

(b) "authorisation" means a document issued by an appropriate authority to a public carrier authorising him to operate as a public carrier throughout the territory of India or in such contiguous States as are specified in the national permit granted to him.

(c) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

(d) "section" means section of the Act.

3. **Form, contents and duration, etc. of the authorisation.**—(1) An application for the grant of an authorisation shall be made in the form set forth in the First Schedule.

(2) Every authorisation shall be in the form set forth in the Second Schedule.

(3) The period of validity of an authorisation shall not exceed one year at a time:

Provided that the said period shall in no case exceed the period for which the motor vehicle tax has been paid in respect of the motor vehicle.

4. **Authorisation fee.**—The fee for the grant of an authorisation shall be Rs. 500 per annum and every application for the grant of the same shall be accompanied by a bank draft for the said amount in favour of the appropriate authority.

5. **Maximum registered laden weight of a motor vehicle for grant of a national permit.**—No public carrier shall be granted a national permit in respect of a motor vehicle which has a registered laden weight of more than 16,000 kgs. in the case of rigid chassis vehicle or a tractor-trailer combination.

6. **Age of the motor vehicle for purposes of a national permit.**—A national permit shall not be granted in respect of a motor vehicle which is more than four years old on the date of initial grant of national permit or is more than nine years old at any other point of time.

7. **Distinguishing particulars to be exhibited on motor vehicle**.—(1) A motor vehicle plying under a national permit shall be painted in brown colour with broad (30 cms) white borders and the letters "NATIONAL PERMIT" shall be inscribed on two sides of the vehicle in bold letters within a circle of 60 cms. diameter.

(2) A board with the following inscriptions and with blue letters on white background shall be carried in the motor vehicle, such board being clearly visible above the "public carrier" board, namely :—

"National Permit valid in the State(s) of

8. **Bill of Lading to be carried by the motor vehicle.**—(1) A motor vehicle plying under a national permit shall at all times carry a Bill of Lading in the form set forth in the Third Schedule.

(2) Carriage of goods not in conformity with the declaration in the Bill of Lading shall be construed as an infringement of the condition of the national permit, rendering the national permit holder liable for action under section 60.

9. **Quarterly return to be filed by a national permit holder.**—A national permit holder shall file a quarterly return, in respect of the motor vehicle covered by these rules, in the form set forth in the Fourth Schedule to the appropriate authority of the State in which the national permit is issued and the said authority, in turn, shall forward copies thereof to the appropriate authorities of the other State concerned.

10. **Matters to be borne in mind by the appropriate authority while granting a national permit.**—In addition to the matters specified in section 55 and section 63, the appropriate authority, in granting a national permit, shall bear in mind the following matters, namely :—

(a) the contribution of the applicants to movement of goods between the States in the interest of the public;

(b) the experience of the applicants in the movement of goods on the basis of Regional, State and inter-State region permits;

(c) in case of granting national permits to those holding State permits, whether they have surrendered the required number of the latter permits so as to fall within the limits laid down in sub-section (13) of section 63.

THE FIRST SCHEDULE

[*See* rule 3(1)]

Form of application for grant of authorisation

To

The *Regional/*State Transport Authority.

I/We, the undersigned, hereby apply for the grant of authorisation valid throughout the territory of India/in the State of

(Here, write the names of the States applicable)

1. Name of the applicant(s) in full (starting with surname, if any)
2. Name of father or husband (in the case of an individual)
3. Complete address
4. Registration mark of the motor vehicle.
5. Engine number of the motor vehicle.
6. Chassis number of the motor vehicle
7. Original permit number of the motor vehicle.
8. Permit issuing authority of the motor vehicle.
9. Make of the motor vehicle.
10. Registered laden weight of the motor vehicle.
11. Unregistered laden weight of the motor vehicle.
12. Pay load of the motor vehicle.
13. Year of manufacture of the motor vehicle.
14. Period for which the authorisation is sought

 From ———— to ————
15. I/We enclose Bank Drafts as described hereunder towards payment of the authorisation fee:—

Name of the State	Amount Paid	Particulars of Bank Draft and Date	Date of payment
(1)	(2)	(3)	(4)

Signature or thumb impression of applicant(s).

Date :

*Strike out whichever is not applicable.

THE SECOND SCHEDULE

[*See rule* 3(2)6]

AUTHORISATION

This authorisation is valid throughout the territory of India/in the States of————

(Here, write the names of the States applicable.)

1. Name in full—(Starting with surname, if any).
2. Complete address of holder of the National Permit.
3. Registration mark of the motor vehicle.
4. Engine number of the motor vehicle.
5. Chassis number of the motor vehicle.
6. Permit number of the motor vehicle.
7. Name of the permit issuing authority.
8. Make of the motor vehicle.
9. Registered laden weight of the motor vehicle.
10. Unregistered laden weight of the motor vehicle.
11. Pay load of the motor vehicle.
12. Year of manufacture of the motor vehicle.
13. Period of validity of the authorisation.

From ———— to ————

(Signature of the Appropriate Authority).

(Seal of the Appropriate Authority)

(On the Reverse)

Certificate of payment of authorisation fee

S.No.	Name of the State	Amount Paid	Particulars of Bank Draft and Date	Date of payment	Period for which paid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(Signature and seal of the Appropriate Authority)

THE THIRD SCHEDULE

(*See* rule 8)

BILL OF LADING

Name and Address of the National Permit Holder Bill No.

Date

Name of the consigners Registration number of the motor vehicle

Name of the consignee

Destination

Number of articles	Description of goods	Cwt. K. G.	Freight charges paid		Freight charges to pay		Total
			Rs.	paise	Rs.	Paise	

Bill No. date

Received package

From

Truck No.

Signature of the consigner
*At carrier's risk

Signature of the Carrier

At owner's risk

Value of the goods Rs.
Delivery at

Signature of the consignee

NOTE.—The Bill of Lading shall be in the proforma given above and shall be in quadruplicate, the original (white) to be carried in the motor vehicle, the duplicate (light green) for the consigner, the triplicate (pink) for the consignee and the fourth copy (cream yellow) for record of the national permit holder.

*Strike out whichever is not applicable.

THE FOURTH SCHEDULE

(*See* rule 9)

QUARTERLY RETURN

1. Name and complete address of the National Permit holder.....

.....

2. Registraion mark of the motor vehicle

3. National Permit No.....

Summary of trips made during the quarter

Month	Total distance covered in the State of*	Total distance of operation	Remarks

Signature of the National Permit Holder
Date.....

*Mention the names of the States applicable.

NOTE :—In the remarks column, states reasons for low or high running in any particular State on States and any other factors which caused low operation.

[No. TGS(22)/75]

N.R. REDDY, Jt. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1975

सा० का०नि० 521(अ).—मोटरगाड़ी (राष्ट्रीय परमिट) नियम 1975 का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 63 की उपधारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है। उक्त अधिनियम की धारा 133 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनका उनसे प्रभावित होना सम्भाव्य हो, प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि की समाप्ति पर या के पश्चात् विचार किया जाएगा। इस अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारुप की बाबत व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं आक्षेप या सुझावों का केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**—(1)—इन नियमों का नाम मोटर गाड़ी (राष्ट्रीय परमिट) नियम 1975 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) ये नियम--------को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'अधिनियम' से मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 (1939 का 4) अभिप्रेत है।

(ख) अनुज्ञप्ति से वे कागज अभिप्रेत हैं जिन्हें समुचित प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक वाहन के लिए जारी किया गया है जिसमें उसे अधिकार दिया गया है कि भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र में या ऐसे संलग्न राज्यों में जो राष्ट्रीय परमिट उन्हें दिये गये हैं, में निर्दिष्ट किये गये हैं सार्वजनिक वाहनों के रूप में परिचालन कर सकते हैं।

(ग) अनुसूची से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

(घ) धारा से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

3. **अनुज्ञप्ति का स्वरूप, विषय वस्तु और अवधि इत्यादि.**—(1) अनुज्ञप्ति देने के लिए आवेदन पत्र प्रथम अनुसूची में बताये गये प्रपत्र में किया जाएगा।

(2) परन्तु अनुज्ञप्ति द्वितीय अनुसूची में बताये गये प्रपत्र में होंगी।

(3) अनुज्ञप्ति की वैधता की अवधि एक समय में एक साल से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह कि उक्त अवधि किसी भी हालत में उस अवधि से अधिक नहीं होगी जिसके लिए मोटर गाड़ी के लिए मोटर गाड़ी टैक्स चुकता कर लिया गया है।

4. **अनुज्ञप्ति शुल्क**—अनुज्ञप्ति देने का शुल्क पांच सौ रुपये प्रतिवर्ष होगा और उसके लिए आवेदन-पत्र उक्त राशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ प्राधिकरण के नाम पर दिया जाएगा।

5. **राष्ट्रीय परमिट देने के लिए मोटरगाड़ी का अधिकतम पंजीकृत लदान भार.**—मोटर गाड़ी के लिए किसी भी सार्वजनिक वाहन को राष्ट्रीय परमिट नहीं दिया जाएगा जिसका रिजिड चैसिस गाड़ी अथवा ट्रैक्टर ट्रेलर कम्बीनेशन की हालत में 16 हजार किलोमीटर से अधिक पंजीकृत लदान भार है

6. **राष्ट्रीय परमिट के प्रयोजन के लिए मोटर गाड़ी की आयु.**—उस मोटरगाड़ी के लिए राष्ट्रीय परमिट नहीं दिया जाएगा जो राष्ट्रीय परमिट देने की प्रारम्भिक तारीख को 4 वर्ष से अधिक पुरानी हो अथवा किसी समय में 9 वर्ष से अधिक पुरानी हो।

7. **मोटरगाड़ी पर प्रदर्शित किया जाने वाला विशेष ब्यौरा.**—(1) राष्ट्रीय परमिट के अन्तर्गत चलने वाली मोटर गाड़ी का रंग भूरा होगा जिसमें (30 से० मी०) की सफेद, पट्टी होगी और उस पर गाड़ी के दोनों ओर बड़े अक्षरों में 60 से० मी० के व्यास के वृत्त के अन्तर्गत "राष्ट्रीय परमिट" लिखा होगा।

(2) मोटर गाड़ी पर एक पटल होगा जिसमें सफेद पृष्ठभूमि में नीले अक्षरों से निम्नलिखित लिखा होगा। नीचे बोर्ड सार्वजनिक वाहनों के पटल के ऊपर साफ दिखायी देगा, अर्थात् :—

"राष्ट्रीय परमिट के राज्य/राज्यों में वैध"।

8. **मोटरगाड़ी द्वारा ले जाया जाने वाला लदान पत्र.**—(1) राष्ट्रीय परमिट के अन्दर चलने वाली मोटर गाड़ी हर समय तीसरी अनुसूची में बताये गये प्रपत्र में लदान-पत्र रखेगा।

(2) लदान पत्र में जो घोषणा के अनुरूप न हो, वह राष्ट्रीय परमिट की शर्तों का उल्लंघन समझा जाएगा जिससे धारा 60 के अन्तर्गत राष्ट्रीय परमिट धारी पर कार्यवाही की जा सकती है।

9. **राष्ट्रीय परमिट धारी द्वारा भारी जाने वाली तीमाही विवरण.**—राष्ट्रीय परमिट धारी इन नियमों के अन्तर्गत आने वाली मोटरगाड़ियों की बाबत उस राज्य के समुचित प्राधिकरण को चौथी अनुसुची में बताये गये प्रपत्र में जिसमें राष्ट्रीय परमिट जारी किया गया है, तिमाही विवरणी देगा और उक्त प्राधिकरण उसकी प्रतियां अन्य संबंधित राज्यों के समुचित प्राधिकरणों को अपनी ओर से भेजेगा ।

10. **राष्ट्रीय परमिट देते समय समुचित प्राधिकरण और वे मामले जिन्हें उन्हें ध्यान में रखना है.**—धारा 55 और धारा 63 में निर्दिष्ट मामलों के अलावा समुचित प्राधिकरण राष्ट्रीय परमिट देते समय निम्नलिखित मामलों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :—

(क) जनता के हित में राज्यों के बीच मामले के लाने लेजाने की ओर आवेदक का योगदान ।

(ख) क्षेत्रीय, राज्य और अन्तर्राज्यी क्षेत्र परमिट के आधार पर माल के लाने ले जाने में आवेदक का अनुभव ।

(ग) उन को जिनके पास राज्य के परमिट हैं, को राष्ट्रीय परमिट देने के मामले में चाहे उन्होंने पश्चादुक्त परमिट की अपेक्षित संख्या को अभ्यर्पित की उपधारा 13 में निर्धारित सीमा के अन्तर्गत आ सकें ।

प्रथम अनुसूची

[नियम 3(1) को देखें]

अनुज्ञप्ति देने के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र

सेवा में

*क्षेत्रीय/*राज्य परिवहन प्राधिकरण,

भारत के क्षेत्र में—————————————————————————के राज्यों में वैध अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन देता हूं/देते हैं ।

1. आवेदक/आवेदकों का पूरा नाम
 (उपनाम पहले, यदि हो)
2. पिता या पति का नाम
 (एक व्यक्ति के मामले में)
3. पूरा पता
4. मोटरगाड़ी का पंजीकृत चिन्ह
5. मोटर गाड़ी का इंजिन संख्या
6. मोटर गाड़ी का चैसिस संख्या
7. मोटर गाड़ी की मूल परमिट संख्या
8. मोटर गाड़ी का परमिट जारी करने वाला प्राधिकरण ।
9. मोटर गाड़ी का मेक
10. मोटर गाड़ी का पंजीकृत लदान भार

11. मोटर गाड़ी का अरजिस्ट्रीकृत लदान भार

12. मोटर गाड़ी का आय भार

13. मोटर गाड़ी का निर्माण वर्ष

14. वह अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गयी है । से तक ।

15. मैं/हम जैसा कि नीचे दिया गया है, अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान की तरफ बैंक ड्राफ्ट संलग्न करता हूं/करते हैं ।

राज्य का नाम	दी गयी राशि	बैंक ड्राफ्ट का ब्यौरा और तारीख	भुगतान की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)

तारीख

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान

जो लागू न हों उसे काट दीजिए ।

दूसरी अनुसूची

[देखिए नियम 3(2)]

अनुज्ञप्ति

यह अनुज्ञप्ति सम्पूर्ण भारत के क्षेत्र———————————————————
(यहां संबंधित राज्यों का नाम लिखिए)
———————————————के राज्यों में वैध है ।

1. पूरा नाम
(पहले उपनाम यदि कोई हो, से शुरू किया जाए)
2. राष्ट्रीय परमिट धारी का पूरा पता
3. मोटर गाड़ी का पंजीकृत चिन्ह
4. मोटर गाड़ी की इंजिन संख्या
5. मोटर गाड़ी की चैसिस संख्या

6. मोटर गाड़ी के परमिट संख्या
7. परमिट जारी करने वाले प्राधिकरण का नाम
8. मोटर गाड़ी का मेक
9. मोटर गाड़ी का पंजीकृत लदान भार
10. मोटर गाड़ी का अपंजीकृत लदान भार
11. मोटर गाड़ी का आय भार
12. मोटर गाड़ी का निर्माण वर्ष
13. अनुज्ञप्ति की वैधता की अवधि

——————————से——————————तक

(समुचित प्राधिकारी की मोहर) (समुचित प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

(दूसरी तरफ)

अनुज्ञप्ति शुल्क अदायगी का प्रमाण पत्र

क्रम संख्या	राज्य का नाम	दी गयी राशि	बैंक ड्राफ्ट का ब्यौरा तथा तारीख	भुगतान की तारीख	जिस अवधि के लिए अदायगी की गयी ।

(समुचित प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा मोहर)

तीसरी अनुसूची

(नियम 8 देखें)

लदान पत्र

राष्ट्रीय परमिट पाने वाले का नाम तथा पता — लदान पत्र संख्या तिथि

परेषक का नाम — मोटर गाड़ी की पंजीकरण संख्या

प्रेषिणी का नाम

गंतव्य (स्थान) :

नगों की संख्या	माल का विवरण	हंडरवेट किलोग्राम	अदा किया गया भाड़ा व्यय	भाड़ा व्यय जो दिया जाना है
			रु० पैसे	रु० पैसे
परेषक के हस्ताक्षर वाहक के जोखिम पर			वाहक के हस्ताक्षर	बिल सं०.....तारीख.... प्राप्त किया.....नग.. . से..... ट्रक संख्या.....
मालिक के जोखिम पर माल का मूल्य रुपये.....				
स्थान जहां माल दिया जाना है				परेषिणी के हस्ताक्षर

लदान पत्र ऊपर दिये गये प्रपत्र के अनुसार होगा तथा चार प्रतियों में होगा । मूल प्रति (सफेद) मोटर गाड़ी में ले जाई जायेगी, दो प्रतियां (हल्की हरी) परेषक के लिए, तीसरी प्रति (गुलाबी) प्रेषिती के लिए तथा चौथी प्रति (हल्की पीली) राष्ट्रीय परमिट धारी के रिकार्ड के लिए होगी ।

*जो लागू नहीं होता उसे काटिए ।

चौथी अनुसूची

(नियम 9 देखें)

तिमाही विवरणी

1. राष्ट्रीय परमिटधारी का नाम और पूरा पता
2. मोटर गाड़ी का पंजीकरण चिन्ह
3. राष्ट्रीय परमिट संख्या

तिमाही के दौरान लगाई गई फेरियों का सार

माला	————————के राज्य में तय किया गया कुल फासला	परिचालन की कुल दूरी	अभ्युक्ति

तारीख राष्ट्रीय परमिट पाने वाले के हस्ताक्षर ।

जिन राज्यों पर लागू होता है उनके नाम लिखें ।

टिप्पणी :—अभ्युक्ति स्तम्भ में किसी विशेष राज्य अथवा राज्यों में परिचालन के कम अथवा अधिक होने के कारण अथवा कोई भी अन्य कारण जिससे कि परिचालन कम हुआ, बताएं ।

[सं० टी०जी०एल०(22)/75]

एन० आर० रेड्डी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975